



2026: AHC: 29649

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - **5108** वर्ष **2026**

राकेश बाबू उर्फ राकेश कुमार एवं 4 अन्ययाचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कमला प्रसाद तिवारी, सौरभ कुमार तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., श्याम मणि शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 02.01.2026 को प्रस्तुत आवेदन पर, प्रतिवादी संख्या-3/तहसीलदार सदर, जिला बरेली द्वारा आदेश दिनांक 07.01.2026 के माध्यम से एक राजस्व टीम का गठन किया गया था, जिसमें कुल 5 राजस्व अधिकारी शामिल थे, और राजस्व टीम को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रतिवादी संख्या-3/तहसीलदार सदर, जिला बरेली को मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है, परंतु संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



फरवरी 10, 2026

सकलैन

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"